उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-29/2020-21

लखन मरण्डी

बनाम्

रैयान मौजा खटांगी वगै0

–: आदेश :–

दिनांक

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया लखन मरण्डी पे0–बाघराय मरण्डी, सा0–खटांगी, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–24/18–19 आदेश दिनांक–04.11.2020 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0ए0 केश नं0–24/18–19 आदेश दिनांक–04.11.2020 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ताओं का कथन है कि मौजा खटांगी प्रधानी मौजा है। मौजा के अंतिम प्रधान चडरा मरण्डी थे। अपीलकर्त्ता चडरा मरण्डी के परपोता है। अपीलकर्त्ता ने भी मौजा खटांगी के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उसके पूर्व ही पी0ए0 केश नं0–47/06–07 के द्वारा अवैध रूप से चाँदू पहाड़िया को मौजा–खटांगी का प्रधान नियुक्त किया गया था। जबकि वंशानुगत के आधार पर चडरा मरण्डी के वंशज लखन मरण्डी (अपीलकर्त्ता) का दावा बनता था। चाँदू पहाड़िया ग्राम खटांगी के न तो निवासी है और न ही खटांगी के रैयत है। वे ग्राम कुटनी के स्थायी निवासी हैं। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के नियम 1 अनुसार प्रधान को मौजा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष चाँदू पहाड़िया मौजा कुटनी के स्थायी निवासी है। मौजा खटांगी से उत्तरवादी द्वितीय पक्ष को किसी तरह का कोई सरोकार भी नहीं है। वे मौजा खटांगी के रैयतों के लिए कार्य भी नहीं करता है। जब मौजा खटांगी के रैयतों को पता चला तो रैयतों के द्वारा उत्तरवादी द्वितीय

पक्ष चाँदू पहाड़िया के प्रधानी नियुक्ति को खारिज करने एवं अपीलकर्त्ता को मौजा खटांगी का प्रधान नियुक्त करने के लिए आवेदन दिया गया। जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रतिवेदन दिया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के दावा आवेदन को यह कहते हुए स्वीकृत नहीं किया गया कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष की नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी, गोडडा के पी0ए0 केश नं0–47/06–07 के द्वारा की गई है और उक्त आदेश को रद्द करने की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं है। अपीलकर्त्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है एवं उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के नियुक्ति आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्त्ता को मौजा खटांगी का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का कथन है कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के कोई भी आदमी कभी भी मौजा खटांगी का प्रधान नहीं था और न ही उत्तरवादी द्वितीय पक्ष का मौजा खटांगी में जमीन है। वे मौजा खटांगी के प्रधानी पद पर बने रहने के लिए इच्छुक भी नहीं है। क्योंकि मौजा खटांगी में उत्तरवादी द्वितीय पक्ष कभी रहते ही नहीं है। वे ग्राम कुटनी के स्थायी निवासी हैं। इसलिए उत्तरवादी द्वितीय पक्ष वाद को आगे बढाने भी नहीं चाहते हैं। वे स्वेच्छा से मौजा खटांगी के प्रधानी पद को त्यागना चाहते हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा खटांगी प्रधानी मौजा है। मौजा के गत प्रधान चडरा मरण्डी थे। अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान चडरा मरण्डी के वंशज है। लेकिन पी0ए0 केश नं0–47/06–07 के द्वारा चाँदू पहाड़ी को मौजा खटांगी का नियुक्त किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा मौजा खटांगी का प्रधान नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में दावा आवेदन दाखिल किया गया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज किया गया है कि संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–60 के अनुसार पुनरीक्षण की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को प्राप्त नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता गत प्रधान चडरा मरण्डी के वंशज हैं। वर्तमान प्रधान चाँदू पहाड़िया के द्वारा स्वेच्छा से प्रधानी पद त्यागने के लिए तैयार है। उत्तरवादी चाँदू पहाड़िया के द्वारा स्वयं

उपस्थित होकर ब्यान दिया गया कि वे बिना किसी दबाव के प्रधानी पद छोड़ना चाहते हैं।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चाँदू पहाड़िया जो अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–47/06–07 के द्वारा नियुक्त किया गया था, को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को अभिलेख मूल रूप में वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार दो माह के अंदर मौजा खटांगी का प्रधान नियुक्त कर अनुपालन से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। डी0 सी0–12 02/02/2022

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:26:33 +05:30
Location: 192.168.29.8